

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना जिला बालोतरा

प्रकरण संख्या:-

GCMS NO:- 2025/795

--: आदेश :-

प्रार्थी/प्रार्थीगण के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी मिठोडा व भूअ.नि. धारणा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सिवाना/समदड़ी की रिपोर्ट व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज यथा आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड

पटवारी हल्का की रिपोर्ट व तहसीलदार सिवाना/समदड़ी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत निम्नानुसार शुद्धि की जाकर तदनुसार तहसीलदार सिवाना/समदड़ी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते हैं:-

| क्र.सं | ग्राम | खसरा संख्या | वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि) | आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है) |
|--------|-------------------------|---|--------------------------------------|--|
| 01 | मिठोडा उन्डेल नगर | 1015, 925, 927, 928, 929, 968, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 273, 313, 342, 346. | सांवलाराम पुत्र मोमता राम | सांकला राम उर्फ सांवलाराम पुत्र मोमता राम |

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोट)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

क्रमांक- /राजस्व/ ग्रा.से.शिविर/ 2025 / 106

दिनांक:- 8.11.2024

प्रतिलिपि --

1. तहसीलदार सिवाना/समदड़ी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी/प्रार्थीगण सांकला राम पुत्र मोमता राम जाति-माली ग्राम-मिठोडा तहसील सिवाना/समदड़ी जिला बालोतरा
3. रक्षित पत्रावली।



उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

